सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र / REGISTRATION CERTIFICATE

पं. संख्या / **REG. NO.- COOP/2021/KOTA/200425**

दिनांक / DATE- 27-07-2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि **RAJ SHOBHA FOUNDATION SOCIETY** जिला **KOTA** का रजिस्ट्रेशन **' THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NO. 28, 1958) '** के अन्तर्गत आज किया गया है। यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

IT IS CERTIFIED THAT **RAJ SHOBHA FOUNDATION SOCIETY** AT DISTRICT **KOTA** IS REGISTERED UNDER **' सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) '**. THIS CERTIFICATE IS ISSUED TODAY UNDER MY DIGITAL SIGNATURE.

Signature valid

Digitally signed by Go[illegible] Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.27 19:05:50 IST
Reason: Approved
Location: Kota

EMKH 2297564

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी प्रमाण पत्र / EXECUTIVE COMMITTEE CERTIFICATE

पं. संख्या / **REG. NO.- COOP/2021/KOTA/200425** दिनांक / **DATE- 27-07-2021**

यह प्रमाणित किया जाता है कि **RAJ SHOBHA FOUNDATION SOCIETY** जिला **KOTA** का रजिस्ट्रेशन **'राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958)** ' के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, में पंजीकरण के समय निम्नलिखित कार्यकारिणी हैं। यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

IT IS CERTIFIED THAT **RAJ SHOBHA FOUNDATION SOCIETY** AT DISTRICT **KOTA** IS REGISTERED UNDER **'THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NO. 28, 1958)** ' HAS THE FOLLOWING EXECUTIVE COMMITTEE AT THE TIME OF REGISTRATION. THIS CERTIFICATE IS ISSUED TODAY UNDER MY DIGITAL SIGNATURE.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Aadhaar No	DOB
1		Rajendra Jain	M	CHAIRMAN/PRESIDENT	XXXXXXXX0225	08/05/1959
2		Neha Jain	F	DIRECTOR MEMBER	XXXXXXXX8035	14/02/1985
3		Surabhi Jain	F	VICE CHAIRMAN	XXXXXXXX4347	09/08/1988
4		Mohit Khandelwal	M	TREASURER	XXXXXXXX3283	09/12/1990
5		Salonee Nandecha	F	SECRETARY	XXXXXXXX5932	12/01/1992

Signature valid

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.27 19:05:51 IST
Reason: Approved
Location: Kota

EMKH 2297565

e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ राजस्थान सरकार

Scanned with CamScanner

राजशोभा फाउण्डेशन सोसायटी

✡ संघ विधान–पत्र ✡

1.	संस्था का नाम :–	इस संस्था का नाम राजशोभा फाउण्डेशन सोसायटी है व रहेगा।
2.	पंजीकृत कार्यालय	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय.... 1 ए 55 महावीर नगर विस्तार, कोटा 324009 जिला कोटा राजस्थान है।
	तथा कार्यक्षेत्र :–	सम्पूर्ण कोटा जिला है । तथा इसका कार्य क्षेत्र **सम्पूर्ण कोटा जिला** तक सीमित होगा।
3.	संस्था के उद्देश्य:–	इस संस्था के निम्नलिखित उद्वेश्य हैं :–

1. शिक्षा का प्रचार, प्रसार करना और शिक्षा हेतु नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूल एवं उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण केन्द्र आदि की स्थापना व प्रबन्धन करना

2. सभी विषयों व भाषाओं की शिक्षा व प्रशिक्षण देना तथा बालक–बालिकाओं का सर्वागीण विकास करना, तथा समाज में सतत साक्षरता, प्रोढ साक्षरता शिक्षा के कार्यक्रम संधारण , संचालन पर्यवेक्षण करना ।

3. कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण देना और महिलाओं, बालकों, अल्प संख्यकों, कमजोर वर्गो के बौद्विक विकास के कार्यक्रम व गतिविधियॉं संचालित करना तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कम्प्यूटर की शिक्षा व प्रशिक्षण देकर लाभान्वित करना ।

4. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी राज्य स्तरीय व केन्द्र सरकार के जनविकास कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना व प्रभावी क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व निभाना एंव विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में शोध, अनुसंधान, प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पादित करना।

5. शैक्षणिक कार्यक्रमों के द्वारा भावी पीढ़ी को सुविधा व माध्यम उपलब्ध करवाना और अविकसित एवं विकासशील क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे टीकाकरण , जनसंख्या नियंत्रण, एड्स, कुपोषण आदि से सम्बन्धित कार्य व सहयोग करना ।

6. भारतीय युवाओं की प्रतिभा विकास के लिए अवसर स्थान एवं गुजांइस बनाना। भारत सरकार के कौशल भारत मिशन में सहयोगी बनना।

7. सभी भारतीय नागरिको विशेषकर युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना।

8. लेदर क्राफ्टर्स, ब्लेक स्मिथ, हैल्थ केयर वर्कर, फैशन डिजायनर खादी और हेण्डलूम कारीगर सहित अन्य विभिन्न ट्रेडो के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।

9. भारत सरकार की मेक इन इण्डिया परियोजना में सहयोग करना।

11. केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न उद्यमिता से सम्बन्धित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भागीदारी निभाना।

12. संस्था के उद्वेश्यों की पूर्ति के लिए सरकार अथवा स्थानीय निकायों से जमीन प्राप्त कर आवश्यक भवन संरचनाओं का निर्माण व रख–रखाव करना तथा उनमें विस्तार, सुधार तथा उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था करना,

उपरोक्त उद्वेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है, तथा संस्था में कार्यकारिणी गठन इत्यादि के सम्बन्ध में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए सिविल न्यायालय में ही उपचारउपलब्ध रहेगा। उपरोक्त उद्वेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है ।

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

Signature valid

EMKH 2297566

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.27 19:05:51 IST
Reason: Approved
Location: Kota

Scanned with CamScanner

ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra

राजशोभा फाउण्डेशन सोसायटी

✡ विधान (नियमावली) ✡

1. **संस्था का नाम :–** इस संस्था का नाम **राजशोभा फाउण्डेशन सोसायटी** है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय.... 1 ए 55 महावीर नगर विस्तार, कोटा 324009 जिला कोटा राजस्थान है।

तथा कार्यक्षेत्र :– सम्पूर्ण कोटा जिला है । तथा इसका कार्य क्षेत्र **सम्पूर्ण कोटा जिला** तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:–** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. शिक्षा का प्रचार, प्रसार करना और शिक्षा हेतु नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूल एवं उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण केन्द्र आदि की स्थापना व प्रबन्धन करना
2. सभी विषयों व भाषाओं की शिक्षा व प्रशिक्षण देना तथा बालक–बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करना, तथा समाज मे सतत साक्षरता, प्रोढ साक्षरता शिक्षा के कार्यक्रम संधारण , संचालन पर्यवेक्षण करना ।
3. कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण देना और महिलाओं, बालकों, अल्प संख्यकों, कमजोर वर्गों के बौद्विक विकास के कार्यक्रम व गतिविधियाँ संचालित करना तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कम्प्यूटर की शिक्षा व प्रशिक्षण देकर लाभान्वित करना ।
4. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी राज्य स्तरीय व केन्द्र सरकार के जनविकास कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना व प्रभावी क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व निभाना एंव विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में शोध, अनुसंधान, प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पादित करना।
5. शैक्षणिक कार्यक्रमों के द्वारा नई पीढ़ी को सुविधा व माध्यम उपलब्ध करवाना और अविकसित एवं विकासशील क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे टीकाकरण , जनसंख्या नियंत्रण, एड्स, कुपोषण आदि से सम्बन्धित कार्य व सहयोग करना ।
6. भारतीय युवाओं की प्रतिभा विकास के लिए अवसर, स्थान एवं गुंजाइस बनाना। भारत सरकार के कौशल भारत मिशन में सहयोगी बनना।
7. सभी भारतीय नागरिको विशेषकर युवाओं का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करना।
8. लेदर क्राफ्टर्स, ब्लेक स्मिथ, हैल्थ केयर वर्कर, फैशन डिजायनर खादी और हेण्डलूम कारीगर सहित अन्य विभिन्न ट्रेडो के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।
9. भारत सरकार की मेक इन इण्डिया परियोजना में सहयोग करना।
11. केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न उद्यमिता से सम्बन्धित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भागीदारी निभाना।
12. संस्था के उद्वेश्यों की पूर्ति के लिए सरकार अथवा स्थानीय निकायों से जमीन प्राप्त कर आवश्यक भवन संरचनाओं का निर्माण व रख–रखाव करना तथा उनमें विस्तार, सुधार तथा उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार व्यवस्था करना,

उपरोक्त उद्वेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है, तथा संस्था में कार्यकारिणी गठन इत्यादि के सम्बन्ध में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए सिविल न्यायालय में ही उपचारउपलब्ध रहेगा। उपरोक्त उद्वेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है ।

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.27 19:05:52 IST
Reason: Approved
Location: Kota

EMKH 2297567

राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार

Scanned with CamScanner

4. [illegible]ता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे–

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल,दीवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगें–

1. सरंक्षक
2. विशिष्ठ
3. सम्माननीय
4. साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:–

1. संरक्षक राशि ....निल........................आजन्म
2. विशिष्ट राशि ....निल........................आजन्म
3. सम्मानीय राशि ....निल........................वार्षिक
4. साधारण राशि ....1000/-....................वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से :- निष्कासन संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:–

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग–पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.27 19:05:52 IST
Reason: Approved
Location: Kota

EMKH 2297568

ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra
राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार
Scanned with CamScanner

8. [illegible] सभा :– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निमार्ण करेंगे ।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :– साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे:–

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना ।
4. संस्था के कुल सदस्यों 2–3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना ।
   (जो रजिस्ट्रार संस्थायें, कोटा के कार्यालय में फाईल जमा कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

10. साधारण सभा की बैठकें :–

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन
   आवश्यकता पड़ने पर विशेषतया सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/5 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी । पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाने जाने पर उक्त 15 सदस्यों में कोई भी 3 सदस्य बैठक हेतु नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.27 19:05:52 IST
Reason: Approved
Location: Kota

EMKH 2297569

ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ राजस्थान सरकार

Scanned with CamScanner

e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र

राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार

11.	कार्यकारिणी का गठन :–	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगें :– (1) अध्यक्ष – एक (2) उपाध्यक्ष – एक (3) सचिव – एक (4) कोषाध्यक्ष – एक (5) सदस्य – एक इस प्रकार संस्था की प्रबंध कारिणी में **चार** पदाधिकारी तथा **एक** सदस्य कुल **5** सदस्य होंगे।
12.	कार्यकारिणी का निर्वाचन :–	1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। 2. चुनाव **प्रत्यक्ष** प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।
13.	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्यः–	संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होगें:– 1. सदस्य बनाना / निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।
14.	कार्यकारिणी की बैठकें:–	1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी। लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैंठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में दी जा सकती है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

EMKH 2297570

Signature valid

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.27 19:05:52 IST
Reason: Approved
Location: Kota

Scanned with CamScanner

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. **कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :–**

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न होगें।

(1) अध्यक्ष

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बेठकें आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(2) उपाध्यक्ष :–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2. अध्यक्ष व कार्यकारिणी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य करना ।

(3). मंत्री :–

1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय–व्यय पर नियन्त्रण रखना।
4. वैतनिक कर्मचारियो पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

(4) कोषाध्यक्ष :–

1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र
राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार

EMKH 2297571

Signature valid

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.27 19:05:52 IST
Reason: Approved
Location: Kota

Scanned with CamScanner

2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
3. चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :–

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय सहायता

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
2. अध्यक्ष / मन्त्री / कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था निम्न राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1. अध्यक्ष 50,000 / – रूपये
2. मंत्री 40,000 / – रूपये
3. कोषाध्यक्ष 30,000 / – रूपये

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

18. संस्था का अंकेक्षण :–

संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएें कोटा को प्रस्तुत करने होगें।

19. संस्था के विधान में संशोधन, परिवर्तन व परिवर्द्धन :–

संस्था के विधान में आवश्कतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा सशोंधन किया जा सकेगा। जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :–

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ जो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तारित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.27 19:05:52 IST
Reason: Approved
Location: Kota

EMKH 2297572

ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra
राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार
Scanned with CamScanner

		कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
21.	संस्था के लेखे जोखों का निरीक्षणः–	रजिस्ट्रार संस्थाए कोटा अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को निरीक्षण संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली).. **राजशोभा फाउण्डेशन सोसायटी** की सही व सच्ची प्रति है।

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

EMKH 2297574

Signature valid

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.07.27 19:05:52 IST
Reason: Approved
Location: Kota

e-Mitra ❖ ई-मित्र ❖ e-Mitra ❖ ई-मित्र
राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार ❖ राजस्थान सरकार

Scanned with CamScanner